राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.02.2012/ दिनांक :- 29 FEB 2016

आदेश

नगर नियोजन विभाग में कार्यरत रहे स्व. श्री जगदीश प्रसाद, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता का दिनांक 10.08.2010 को देहान्त हो जाने के फलस्वरूप इनकी आश्रित पत्नी **श्रीमती गंगा पुत्री श्री जवरीलाल, जाति–मेहतर, वर्ग–अनुसूचित जाति, जन्म–तिथि– 24.12.1980 (चौबीस दिसम्बर सन् उन्नीस सौ अस्सी)** को "राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996" के अन्तर्गत **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पे बेण्ड–I 5200–20200; ग्रेड–पे रूपये 1700/–)** के पद पर, 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में मासिक नियत पारिश्रमिक रूपये 6,670/– (समय–समय पर यथा–संशोधित) पर, निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाकर **वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर कार्यालय** में पदस्थापन किया जाता है:–

1. यह नियुक्ति विधि विभाग की राय के क्रम में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(6)नविवि/II/2010/पार्ट–2 दिनांक 24.07.2015 एवं 14.12.2015 द्वारा विभाग को प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्रदान की गई है।
2. अभ्यर्थी द्वारा निरक्षर होने का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः "राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996" के उप नियम 7(2) के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी सेवा में शैक्षणिक अर्हता की अपेक्षा में अभिमुक्ति दी जाकर नियुक्ति प्रदान की गई है।
3. नगर परिषद्, पाली द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र (पंजीयन संख्या 10906316, दिनांक 18.09.2009) के अनुसार इनकी जन्म–तिथि दिनांक 24.12.1980 स्वीकार की जाती है। उक्त जन्म–तिथि अपरिवर्तनीय रहेगी।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित दस्तावेज/शपथ–पत्रों में दी गई सूचनाऐं असत्य/अधूरी पायी जाती है या प्रस्तुत शपथ–पत्रों का उल्लंघन किया जाता है तो विभाग द्वारा इनकी सेवाऐं किसी भी समय समाप्त की सकेगी।
5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Remuneration) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
6. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कार्यग्रहण तिथि से मान्य होगी।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 21 संपठित परिशिष्ठ–IV, समय–समय पर यथा–संशोधित; के अन्तर्गत मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होंगे।
8. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
9. परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय यह प्रतीत होता हो कि परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी की सेवाऐं संतोषजनक नहीं है तो विभाग द्वारा परिवीक्षाधीन– प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढाया जा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगा अथवा बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा तत्काल समाप्त भी की जा सकेगी।

कृ.पृ.उ. . . .

(.d5-2)

10. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 22 सपठित परिशिष्ठ–V, समय–समय पर यथा–संशोधित; में उक्त पद के लिए यथा–उपदर्शित चालू वेतन बेण्ड और ग्रेड–पे अनुज्ञात किया जाकर नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

11. "राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996" में यथा–उपबंधित के सिवाय; वेतन, भत्ते, प्रेंशन, अवकाश और सेवा की अन्य शर्तें, (1) राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 समय–समय पर यथा– संशोधित; (2) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथा– संशोधित; (3) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 समय–समय पर यथा– संशोधित; (4) "राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी) पेंशन नियम, 2005, समय–समय पर यथा–संशोधित"; (5) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय–समय पर यथा–संशोधित; तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य नियमों/प्रावधानों, द्वारा विनियमित होगी।

12. अभ्यर्थी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, तथा अन्य वांछित शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिये गये है तथा मूल दस्तावेजों का भी अवलोकन करवा लिया गया है। अतः कार्यग्रहण से पूर्व इन्हें स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने तथा दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

13. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14. उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करना होगा।

29.2.16

(श्रीमती इन्दिरा)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.02.2012/1650 दिनांक :– 29 FEB 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(6)नविवि/II/2010/पार्ट–2 दिनांक 24.07.2015 एवं 14.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को श्रीमती गंगा द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न कर कार्यालय रिकॉर्ड हेतु प्रेषित है।
3. कोषाधिकारी, अजमेर/मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक(जेडएसपी), जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. **श्रीमती गंगा पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद**, निवासी– 341, सर्वोदय नगर, हरिजन बस्ती, पाली, मारवाड़, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

29.02.16

(सुभाष चन्द शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।